# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

## लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 102/2015

वादी :-
1. जसराज पुत्र बालुराम
जाति-साद, निवासी-जैतारण,
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. महेन्द्रकुमार पुत्र जसराज
जाति-साद, निवासी-जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 01/06/2015**

उपस्थितः.
1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

**-:: निर्णय ::-** दिनॉकः- 01/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - सांगावास पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादी ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-भाकरवास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7, 38, 38/132 कुल किता-3 रकबा 105-12 बीघा किस्म बा०अ०, गै०मु० बेरा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में रजिस्टर्ड दान-पत्र दिनांक 17/03/2006 को कुल आराजी का 1/36वां हिस्से की भूमि 2-93 बीघा का दान करवाया था। जिससे कुल आराजी में मेरा शेष हिस्सा 1/18 रहेगा। किन्तु वक्त नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 21/03/2006 के जरिये हम वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा वादी का 1/12 में से 35/36 एवं प्रतिवादी का 1/12 में से 1/36 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि गलत हैं। अतः वादी का हिस्सा 1/18 एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/36 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की कृपा करावें। वाद पत्र के ताईद में दस्तावेजात जसराज का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/099069 दिनांक 31/03/1995, एवं महेन्द्रकुमार का आधार कार्ड संख्या 677947949967 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का गलत हिस्सा 35/36 के स्थान पर 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/36 हिस्सा यथावत् वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 01/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादी ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का वास्तविक रूप से 1/18-1/36 हिस्सा हेतु समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी जसराज पुत्र बालुराम साद का 1/18 हि एवं महेन्द्रकुमार का 1/36 हिस्सा दुरुस्त दर्ज किये जाने की उभय पक्षकारानों ने स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में प्रस्तुत वाद-पत्र, दस्तावेजात, तस्दीकसुदा राजीनामा एवं पंजीबद्ध दस्तावेजात दान पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। पंजीबद्ध दस्तावेजात अनुसार वादी द्वारा 1/36 की भूमि विक्रय की गई, जिससे वादी के शेष 1/18 हिस्से की भूमि रहती हैं। किन्तु जमाबन्दी में अमल दरामद करते समय 1/18

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्से के स्थान पर 35/36 अंकित कर दिया जो गलत अंकन हैं, जिसे पुनः दुरूस्त रूप से 35/36 के स्थान पर 1/18 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं। प्रति0 महेन्द्र कुमार का 1/36 हिस्से का अंकन यथावत रखा जाना भी उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात पंजीबद्ध दस्तावेज दान–पत्र क्रमांक/2006000440 दिनांक 17/03/06 अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भाकरवास, पटवार हल्का–सांगावास, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7, 38, 38/132 कुल किता–3 कुल रकबा 105–12 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को गलती से दर्ज हिस्सा हिस्सा 35/36 के स्थान 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादित भूमि में वादी का गलत दर्ज 35/36 के स्थान पर 1/18 दुरूस्त इन्द्राज किया जावें, शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र सांगावास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

1. जसराज पुत्र बालुराम
जाति-साद,निवासी-जैतारण,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. महेन्द्रकुमार पुत्र जसराज
जाति-साद,निवासी-जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 102/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात पंजीबद्ध दस्तावेज दान-पत्र क्रमांक/2006000440 दिनांक 17/03/06 अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7, 38, 38/132 कुल किता-3 कुल रकबा 105-12 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को गलती से दर्ज हिस्सा हिस्सा 35/36 के स्थान 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादित भूमि में वादी का गलत दर्ज 35/36 के स्थान पर 1/18 दुरुस्त इन्द्राज किया जावें, शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र सांगावास में आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः- | Nil | | मिजानः- | Nil | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner